

1/12/17

पत्रावली पेशा हुई । वकील
वादी व प्रतिवादी अनु० ।
यह मामला चर्चा कि 14(प)
के तहत किसी और न्यायालय
में विचारणीय है, इसलिए
इसे इस न्यायालय में
चलने योग्य व मानते हुए
स्वीकार किया जाता है ।
जब 14(प) का फैसला होगा
तब वाद को रसी स्तर से
चलाया जा सकता है ।

